Meetings of Governing Body of Dr. Ambedkar Foundation

2120. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is mandatory to conduct atleast three meetings of the Governing Body of Dr. Ambedkar Foundation every year as laid down under the Bye-laws of the said Foundation; and

(b) if so, the dates on which the meetings of the Governing Body were held during the years 1997-98 and 1998-99 and major decisions taken during these meetings?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(a) During the year 1997-98 five meeting of Governing Body were held on 3.6.97, 4.7.97, 14.9.97, 8.12.97 and 3.3.98 and there is no meeting held during the year 1998-99. The following decisions were taken during the meeting.

1. Constitution of Dr. Ambedkar Memorial Committee.

2. Publication of Collected Works of Baba Saheb Dr. Ambedkar Volumes.

3. Enhancement of Annual Grant to Dr. Ambedkar Chairs.

4. Framing of Rules and Regulations of Dr. Ambedkar Foundation.

5. Creation of posts for Dr. Ambedkar National Public Library.

6. Revision of Scheme of Dr. Ambedkar Overseas Fellowship.

7. Review of Dr. Ambedkar Feature Film.

8. Review of the Project of Dr. Ambedkar National Public Library.

9. Review of the Project of Dr. Ambedkar Memorial at 26, Alipur Road.

10. Creation of additional posts on regular basis.

Corpus Fund for Dr. Ambedkar Foundation

2121. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Corpus Fund of Rs. 40 Crores were released to Dr. Ambedkar Foundation during September 1997 for supporting the revised Schemes of Dr. Ambedkar National/Overseas Fellowships and Dr. Ambedkar Chairs introduced by the Governing Body of Dr. Ambedkar Foundation; and

(b) if so, what is the present status of implementation of these two Schemes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Rs. 40.00 Crores were released during the 1997-98 for the Foundation as a whole for its projects.

(b) The Scheme of Dr. Ambedkar national/Overseas Fellowships has been approved and necessary steps are being taken to implement the scheme. The Scheme of Dr. Ambedkar Chair has been implemented.

आदिवासी क्षेत्रों का समन्वित विकास

2122. श्री दिलीप सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के आदिवासी क्षेत्रों में समन्वित विकास हेतु एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिये विगत तीन वर्षों में कितनी राशि सरकार द्वारा दी गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं की सफलता के मूल्यांकन हेतु की गई कार्रवाई एवं प्राप्त प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) 194 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में पहचान की गई है। इन परियोजनाओं के राज्यवार वितरण को विवरण में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) आदिवासी उप योजना कार्यनीति के अंतर्गत, पहचान की गई परियोजनाओं एवं फैले हुए आदिवासी समूहों में आदिवासियों के लिए राज्य योजना संसाधनों हेतु एक योगज के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासी उप-योजना के लिए निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है:—

(रु० करोड़ में)

वर्ष	राशि
1995-96	330.00
1996-97	330.00
1997-98	329.61

(घ) कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के एक उदाहरण स्वरूप योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी०ई०ओ०) ने जुलाई, 1997 में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के प्रभाव एवं योजना और मानीटरिंग व्यवस्थाओं के प्रभाव और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों में शुरू किया गया जो केन्द्रीय आदिवासी क्षेत्र (सी०टी०बी०) है। इस मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं तथा रिपोर्ट की सिफारिशों को समुचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण।

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं/एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	असम	19
3.	बिहार	14
4.	गुजरात	9
5.	हिमाचल प्रदेश	5
6.	कर्नाटक	5
7.	केरल	7
8.	मध्य प्रदेश	49
9.	महाराष्ट्र	16
10.	मणिपुर	5
11.	उड़ीसा	21
12.	राजस्थान	5
13.	सिक्किम	4
14.	तमिल नाडु	9
15.	त्रिपुरा	3
16.	उत्तर प्रदेश	1
17.	पश्चिम बंगाल	12
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
19.	दमन व दीव	1
20.	जम्मू व कश्मीर	—
	कुल	**194**